Bundesamt
für Migration
und Flüchtlinge

इनटिग्रेशन कोर्स के बारे में सूचना पत्र

जर्मनी में नये आये हुए प्रवासीयों के लिए, जिन्हे जर्मन भाषा के कोर्स में भाग लेने का हक है और जिनका इस कोर्स में जाना कानूनी कर्तव्य है तथा जर्मनी में लम्बे अवधि से रहते हुए प्रवासीयों के लिए इनटिग्रेशन कोर्स के दौरान जर्मन भाषा सिखने के कोर्सों के बारे में जानकारी

आदरणीय नागरीको,

निवास कानून के अनुसार आपको इस कोर्स में एक बार भाग लेने का हक है, या इसमें भाग लेने का आपका कर्तव्य बनता है.

इनटिग्रेशन कोर्स क्या होता है?

सामन्य इनटिग्रेशन कोर्स में 600 स्कूली घंटों का एक जर्मन भाषा सिखने का कोर्स होता है और 45 घंटों का एक जर्मन लोकाचार के बारे में जानकारी पाने का कोर्स होता है. भाषा-कोर्स को 100 घंटों के अंशों में बांटा गया है. पहले 300 घंटों को आरंभक-कोर्स कहा जाता है और अगले 300 घंटों को एडवान्स कोर्स कहा जाता है

भाषा के कोर्स में आप जर्मन शब्दावली सिखेगें जिसकी आपको दिन-प्रतिदिन जर्मन बोलने या लिखने में आवश्यकता होगी. इसमें सरकारी कार्यालयों से ताल-मेल, पडोसीयों और सहक्रमचारीयों से बात-चीत तथा पत्र लिखना और फ़ार्म को भरना आदि सिखवाया जाता है.

लोकाचार कोर्स में आपको जर्मन सामाजिक जीवन के बारे में सूचना दी जाती है और यहां के कानूनों तथा नियमों के बारे में और इस देश की संस्कृति और देश के नये इतिहास के बारे में सूचना दी जाती है.

महिलायों, मां-बाप और किशोरावस्था तथा अनपड लोगों के लिए अलग-अलग विशेष कोर्स बनाये गये हैं. इन कोर्सों की अवधि 945 घंटे है. अगर आप शीघ्र सीख सकते हैं तो आपको इनटेनसिव कोर्स में जाना चाहिए. इसकी अवधि केवल 430 घंटे है.

कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा और कोर्स के किस अंश में आरम्भ किया जाये, इस बात की जांच आपका टेस्ट लेने के बाद सिद्ध की जा सकती है.

KNr. 630.036b BAMF 02/2009 Hindi

परिक्षा में हिस्सा लेना

परिक्षा को दो अंशों में बांटा गया है. पहले अंश में आपको जर्मन भाषा में परिक्षा देनी होगी और एक लोकाचार विषय में. अगर आप जर्मन कोर्स में अच्छे नंबर से पास होते हैं और लोकाचार विषय में भी पास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इनटिग्रेशन कोर्स को पास कर लिया और आपको इस का प्रमाण-पत्र (सर्टिफ़िकेट इनटिग्रेशन कोर्स) दिया जायेगा.
अगर आपने परिक्षा पास नही की तो आपको केवल उस कोर्स में हिस्सा लेने का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा जिसमे आप पास होंगे.
परिक्षा देना निशुल्क है.

इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लाभ

प्रवासी जो यूरोपीयन संघ के देशों के अलावा अन्य देशों के नागरीक है, उन्हे कुछ शर्ते पूरी करनी होती है अगर वह जर्मनी में स्थायी निवास की अनुमति चाहते है. इन शर्तों में एक शर्त है कि जर्मन भाषा की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और जर्मनी में सामाजिक जीवन, कानूनों, नियमों आदि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. इनटिग्रेशन कोर्स में पास होने के पश्चात यह शर्तें शर्त पूरी हो जाती है. इसके अलावा आप समय से पहले जर्मनी की नागरिकता पा सकते हैं.

इस के अतिरिक्त इनटिग्रेशन कोर्स में पायी गयी जर्मन भाषा की जानकारी से जर्मनी में जीवन आसान हो जाता है और नौकरी मिलने के अवसर बढ जाते हैं.

इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन

अगर आपको कोर्स में भाग लेने की अनुमति मिलती है तो आपको इस बारे में प्रवासी दफ्तर (Ausländeramt) या रोजगार कार्यालय से (Arbeitslosengeld II) से लिखित सूचना भेजी जायेगी (बिरेशटिगूंग शाइन). साथ में ही आपको कोर्स देने वाली संस्थाओं की सूचि भेजी जायेगी जो आपके आस-पडोस में कोर्स करते है.
इस प्रमाण पत्र में इस वाक्य „Die Teilnahmeberechtigung ist gültig bis ...“ के नीचे एक तारिख लिखी होगी. आप इस तारिख तक इनटिग्रेशन कोर्स आरम्भ कर सकते है. आपको इस अवधि तक कोर्स देने वाली संस्था में अपने-आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए. इसलिए कृपया शीघ्र ही किसी कोर्स करने वाली संस्था से सम्पर्क करें और वहां भाग लेने वाले लिखित प्रमाण पत्र को जमा करवा दें.
कोर्स करने वाली संस्था से आपको कोर्स आरम्भ होने के बारे में सूचना मिलेगी. कोर्स की रजिस्ट्रेशन करने के तीन महीने के अंदर कोर्स आरम्भ हो जाना चाहिए. अगर इस अवधि तक कोई कोर्स आरम्भ नही होता तो से आपको इस बारे में सूचना मिलेगी. फ़िर आप खुद फ़ैसला कर सकते हैं कि आप इंतजार करना चाहते हैं या किसी अन्य संस्था के पास कोर्स करना चाहते हैं. इस हालत में कोर्स करने वाली संस्था आपको बिरेशटिगूंग शाइन वापिस दे देगी.

नियामानुसार कोर्स में हिस्सा लेना

तांकि आप कोर्स सफ़लता से पास कर सकें इसके लिए यह अनिवार्य है कि आप नियमित तरीके से कोर्स में हिस्सा लें. इसला मतलब है कि आप सतेत कक्षा में जांये और परिक्षा में हिस्सा लें. सतेत जाना इसलिए भी आवश्यक है अगर आप आने-जाने की टिकट के पैसे पाना चाहते हैं या बाद में एडवान्स कोर्स दुबारा करना चाहते हैं. कोर्स की संस्था की ओर से हर हिस्से के बाद आपको कक्षा में हाजिरी के बारे में प्रमाण पत्र मिलना चाहिये.

इनटिग्रेशन कोर्स की फ़ीस

भाग लेने के लिए आपको 1 यूरो प्रति स्कूली घंटे की फ़ीस कोर्स की संस्था को भरनी होगी. यह रकम हर 100 घंटों के अंश के लिए भरनी होगी और लोकाचार के कोर्स के आरम्भ में देनी होगी.
अगर आप कोर्स में सतेत हिस्सा नही लेते तो आपको उन घंटों की फ़ीस वापिस नही दी जा सकती जिनमें आप उपस्थिति नही थे.अगर आपकी अपनी कोई आमदनी नही है तो यह फ़ीस उस व्यक्ति को भरनी होगी जिसके पास आप के जीवन-निर्वाह की जिम्मेदारी होगी.

संघीय कार्यालय (Bundesamt) की तरफ़ से आपको फ़ीस की मुक्ति मिल सकती है अगर आपकी आमदनी बहुत कम है. फ़ीस से मुक्ति पाने के लिए आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt) के स्थायी दफ्तर में लिख कर आवेदन पत्र भेजना होगा (पत्ते की सूचि देखें). फ़ीस की मुक्ति पाने के सबूत (कागजातों की फ़ोटोकापी) भी साथ भेज दें. कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाने के समय साथ ही फ़ीस की मुक्ति का आवेदन पत्र भी भरकर भेज दें.

वह भाग लेने वाले जिन्हे रोजगार कार्यालय से खर्चा (Arbeitslosengeld II) मिलता है और जिनका कोर्स में हिस्सा लेना कानूनी कर्तव्य है, उन्हे इस फ़ीस से मुक्ति मिल सकती है.इस हालत में आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt) में आवेदन पत्र नही भेजना होगा. पर आपको कोर्स में हिस्सा लेना कानूनी कर्तव्य है, उन्हे इस फ़ीस से मुक्ति मिल सकती है.इस हालत में आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt) को इस बारे में सूचना देनी होगी अगर आपको रोजगार कार्यालय से खर्चा (Arbeitslosengeld II) मिलना बंद हो जाये.

फ़ीस की वापसी

अगर आपने 08.12.2007 के बाद कोर्स की परिक्षा सफ़लता से पास कर ली है तो आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt) के स्थायी दफ्तर से 50% फ़ीस जो आप भर चुके हैं, वापीस की जा सकती है. पर यह केवल तब मान्य होगा जब कोर्स में हिस्सा लेने के सूचनापत्र (बिरेशटिगूंग शाइन) जारी करने के समय में और परिक्षा पास करने के समय में दो साल से अधिक का समय पूरा नही हुआ हो. यह फ़ीस वापीस पाने के लिए आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt) के स्थायी दफ्तर में आवेदन करना होगा.

आने-जाने की टिकट का खर्चा

आने-जाने का किराया आपको केवल तब दिया जा सकता है अगर आपको फ़ीस भरने से मुक्ति मिली है या अगर आपको आरबाइटस्लोसनगेल्ड II (Arbeitslosengeld II) मिलता है और उस दफ्तर से आपको इनटिग्रेशन कोर्स में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है.

किराया पाने के लिए आपको हर हालत में संघीय कार्यालय (Bundesamt) के स्थायी दफ्तर में इस बारे आवेदन करना होगा. असूलन आपको कोर्स में नियमित तरीके से हिस्सा लेने पर ही टिकट के पैसे दिये जा सकते हैं.

एडवान्स कोर्स को दोहराना

अगर आप भाषा के कोर्स में पास नही होते तो आप 300 घंटों का एडवान्स कोर्स दोहरा सकते हैं. पर इसके लिए शर्त होगी कि आप सतेत कक्षा में जाते है और सब परिक्षा में हिस्सा लेते रहे हैं.

घंटे दोहराने के बाद परिक्षा देना निशुल्क है.
अगर आप एडवान्स कोर्स दोहराना चाहते हैं तो आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt) के स्थायी दफ्तर में आवेदन करना होगा.

जिनका कोर्स में जाना कानूनी कर्तव्य है उनके लिए कुछ सूचना

अगर आपको प्रवासी दफ्तर (Ausländeramt) या रोजगार कार्यालय (Arbeitslosengeld II) से कोर्स में भाग लेने के लिए कहा गया है तो आपको जल्दी से जल्दी कोर्स करने वाली किसी संस्था के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और नियमानुसार कोर्स में भाग लेना होगा.
अगर आप यह नही करते तो इस से आपको मुश्किल हो सकती है:
जर्मनी में रहने के वीजा की अवधि बढाने में असर हो सकता है.

अगर आपको अगर आप यह नही करते तो इस से आपको मुश्किल हो सकती है:

- जर्मनी में रहने के वीजा की अवधि बढाने में बुरा असर हो सकता है.
- अगर आपको सोशल दफ्तर से खर्चा मिलता है तो उसे कम किया जा सकता है.
- यह भी हो सकता है कि प्रवासी दफ्तर आपको आदेश दे कि आपको कोर्स के हर घंटे की आपकी फ़ीस, जो 1,- यूरो है, वह इकट्ठी एक रकम में देनी होगी.
- आपको पैसों की सजा हो सकती है.

अगर आप नियमानुसार कोर्स में हिस्सा नही लेते तो कोर्स की संस्था का यह फ़र्ज है कि वह इस बारे में प्रवासी दफ्तर (Ausländeramt) या रोजगार कार्यालय (Arbeitslosengeld II) को सूचना भेजे.

<u>इसके अतिरिक्त आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए</u>

इस सूचना-पत्र में लिखे गये सब आवेदन-पत्र आपको कोर्स की संस्था, प्रवासी दफ्तर (Ausländeramt) या आपके स्थायी दफ्तर से मिल सकते हैं.
इसके अलावा सब फ़ार्म इंटरनेट में इस पते से डाउनलोड किये सकते हैं: www.integration-in-deutschland.de.

कृपया प्रौढ लोगों को (MEB) और नोजवानों को माइग्रेशन परामर्श देने के साधनों पर ध्यान दें. यह आपके सवालों का जवाब देने के लिए, फ़ार्म भरने में तथा आपके लिए सही कोर्स ढूंढने में सहायता दे सकते हैं. आपके आस-पडोस में माइग्रेशन परामर्श के कार्यालय कहां है इसके बारे में आपको प्रवासी दफ्तर (Ausländeramt) या आपके स्थायी दफ्तर या इंटरनेट में इस पते से सूचना मिल सकती हैं: www.integration-in-deutschland.de.